झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे०सी०ई०सी०ई०बी०/61/16 – 99 ,राँची/दिनांकः 01/09/2017

पारा–मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2017 {मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय (पी०सी०बी० एवं पी०सी०एम० समूह} के प्रथम साक्षात्कार (First Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

दिनांक 16.07.2017 को सम्पन्न पारा–मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2017 (Para-Medical Entrance Competitive Examination – 2017) में सम्मिलित हुये परीक्षार्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.08.2017 को जारी परीक्षाफल के आधार पर पर्षद द्वारा दिनांक 07.09.2017 से दिनांक 09.09.2017 तक प्रथम साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है। पर्षद द्वारा विज्ञापित विज्ञापन सं0 जे०सी०ई०सी०ई०बी०/61/16 – 51 की कण्डिका 6 के आलोक में इंटरस्तरीय पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के दोनों समूहों यथा पी०सी०एम० एवं पी०सी०बी० समूह को मिलाकर पी०सी०एम०बी० मेधा–सूची तैयार की गई है।

2. साक्षात्कार, Computerized Multi Table Counselling के माध्यम से की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का चयन करना होगा। संस्थान–वार/पाठ्यक्रम–वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर "Live (Current) Seat Matrix of Para-Medical" Link पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। *अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें।*

3. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

- *i.* मैट्रिक का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र (मैट्रिक एवं इन्टर स्तरीय दोनों समुहों के लिये),
- *ii.* इन्टरमीडिएट/10+2 /समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र (इंटर स्तरीय समूह हेतु),
- *iii.* पारा–मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2017 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) {यदि प्रवेश–पत्र (Admit Card) गुम हो गया है तो सनहा (F.I.R.) की प्रति},
- *iv.* झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)}/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र (दोनों समूहों के लिये),
- *v.* झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)}/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में) {दोनों समूहों के लिये},
- *vi.* विकलांग अभ्यर्थियों को जिला अस्पताल के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण–पत्र तथा शरीर के एक पूर्ण आकार का फोटोग्राफ (दोनों समूहों के लिये)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का0–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के वैसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।}

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखा जा सकता है।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो **उन्हें भी सीट/पाठ्यकम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक सं0सं0–10/नर्सिंग–10–06/2015–234(10) दिनांक 22.08.2017 के आलोक में किया जायेगा।**

नोट–(क) :– सिर्फ प्रवेश पत्र (Admit Card) गुम हो जाने की स्थिति में सनहा (F.I.R.) की प्रति मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रमाण–पत्र के गुम होने के मामले में सनहा मान्य नहीं होगा।

4. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

5. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका 3 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आबंटन नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

6. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, बैंक चालान के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। खाता सं0 एवं अन्य जानकारी चालान में उपलब्ध है।

या

ख) साक्षात्कार शुल्क, पोस्ट ऑफिस चालान (P.O. Challan) के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। चालान (P.O. Challan) की प्रति पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है। साक्षात्कार शुल्क, चालान के माध्यम से भारतीय पोस्ट ऑफिस के किसी भी कम्प्यूटराईज डाकघर में जमा किया जा सकेगा। Receipt की एक प्रति, पोस्ट ऑफिस चालान के निर्दिष्ट कॉलम में चिपकानी होगी।

या

ग) साक्षात्कार शुल्क, भारतीय पोस्टल ऑर्डर (Indian Postal Order) के रूप में भी जमा किया जा सकता है।

नोट–(ख) :– साक्षात्कार के समय बैंक/पोस्ट ऑफिस चालान (Challan) की पर्षद प्रति (Board's Copy) या भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।

7. आबंटित संस्थानों में नामांकन लेने की तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन आदेश में अंकित रहेगा।

8. साक्षात्कार स्थल :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC–I/BC-II/PH के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों/संस्थानों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित सीटों/संस्थानों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य लावें।

10. साक्षात्कार के दौरान अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों, उनका हस्ताक्षर तथा पहचान की छान–बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण–पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कारवाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षो तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

11. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की मेधा क्रम संख्या के समय उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आबंटन, मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर किया जायगा। **साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।**

12. अगर किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती है **अथवा** डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

13. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

14. पारा–मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2017 के परीक्षाफल के आधार पर सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों में पारा–मेडिकल/ड्रेसर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

14.2 पारा–मेडिकल {इंटर स्तरीय (पी॰सी॰एम॰/पी॰सी॰बी॰ समूह)}

Sl. No.	Category	PCMB CML Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1.	As per PCMB CML Rank	1	500	07.09.2017 / 10:00 AM
2.	As per PCMB CML Rank	501	1,408	08.09.2017 / 10:00 AM

14.3 पारा–मेडिकल (मैट्रिक स्तरीय)

Sl. No.	Category	CML Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1.	As per CML Rank	1	649	09.09.2017 / 10:00 AM

15. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/व्यवसाय/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

16. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. **जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 14 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते है कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं** Counselling Time **पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा।** यदि वे चालू साक्षात्कार में निर्धारित तिथि/समय के बदले बाद में उपस्थित होते हैं तो उन्हें इस विज्ञापन की कण्डिका 13 के अनुसार ही संस्थान/सीट चयन का अवसर दिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

18. अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट और दूरभाष सं० 0651–6999170/6999171 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सुरेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०)
परीक्षा नियंत्रक